कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. 8841/006–06/प्र.अ./मॉनी./ज.गु.अ.स./लो.स्वा.यां.वि./म.प्र./10 भोपाल, दि. 13/09/2010.

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र.................................. (म.प्र.)

2.. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मण्डल.................................. (म.प्र.)

3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
खंड..(म.प्र.)

विषयः– चिकुनगुनिया एवं डेंगू बीमारी की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय करने बाबत्।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्र. 8279/006–06/मॉनी./ज.गु.अ.स./भोपाल, दि. 15/09/2009.

उपरोक्त विषयान्तर्गत सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश के आदेश क्र. संचालनालय/09/643/भोपाल, दि. 01.09.2009 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। उक्त पत्र पूर्व में भी इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दि. 15.09.2009 द्वारा भेजा गया था।

संदर्भित परिपत्र के अनुसार, विभाग से संबंधित कार्यवाहियां की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

for Sushil 10/9/10.
प्रमुख अभियंता

Scan it and Create path
27/10

D:\data c\Prevention & control of Deingu& Chikungunea 11-9-2009..doc

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्र. 8279 / 006-06 / प्र.अ. / मॉनी. / ज.शु.अ.स. / लो.स्वा.यां.वि. / म.प्र. / 09 भोपाल, दि. 15 / 09 / 2009.

प्रति,

1. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   परिक्षेत्र.................................. (म.प्र.)
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   मण्डल.............................. (म.प्र.)
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
   खंड...(म.प्र.)

विषय— चिकुनगुनिया एवं डेंगू बीमारी की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय करने बावत।

संदर्भ— सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश के आदेश क्र. संचालनालय / 09 / 643 / भोपाल, दि. 01.09.2009.

उपरोक्त विषयान्तर्गत सचिव, लोक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश के आदेश क्र. संचालनालय / 09 / 643 / भोपाल, दि. 01.09.2009 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें।

निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग हेतु बिन्दु क्र. 11. में उल्लेखित अनुसार चिकुनगुनिया एव डेंगू बीमारी की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय करने हेतु समन्वित प्रयास एवं सहयोग करें जिससे चिकुनगुनिया एवं डेंगू बीमारी के फैलाव का नियंत्रण किया जा सके।

इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता

D:\data c\Prevention & control of Deingu& Chikunguna 11-9-2009. doc

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश

क्रमांक /संचालनालय/09/843 भोपाल, दिनांक : 01-9-09

प्रति,

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग, भोपाल।
2. विकास आयुक्त, विकास विभाग, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग,
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
6. उद्योग आयुक्त, उद्योग विभाग, भोपाल।
7. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, भोपाल।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भोपाल।
9. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, भोपाल।
10. संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
11. संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, भोपाल।
12. संचालक, मत्स्योद्योग, भोपाल।
13. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
14. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
15. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषयः–चिकुनगुनिया व डेंगू बीमारी की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय करने बाबत्।

***

हमारे प्रदेश में इस वर्ष डेंगू के 58 एवं चिकुनगुनिया के 4 प्रकरण प्रकाश में आये हैं। इन प्रकरणों में आगामी माहों में वृद्धि न हो, इसलिये आपके विभाग के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है।

आपको विदित ही है कि चिकुनगुनिया एवं डेंगू बीमारी एक प्रकार के वायरस की वजह से होती है एवं एडीज़ नामक मच्छर के द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ्य व्यक्ति में फैलती है। एडीज़ मच्छर घरों में 7 दिन से अधिक रखे हुए साफ पानी वाले स्थान, जैसे–सीमेंट की टंकियाँ, नांद, मटके, कूलर, गमले, टायर, घर के बाहर एकत्रित टूटा–फूटा सामान जिनमें पानी भरा हो, फूलदान आदि में पैदा होते हैं। इसी प्रकार सभी शासकीय भवन, स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, अस्पताल, धार्मिक स्थल, गार्डन, भवन निर्माण स्थल, रेल्वे ट्रेक व यार्ड में स्थित सीमेंट की टंकियों, कूलर आदि में मच्छरों की पैदाइश बहुतायत में होती है।

डेंगू एवं चिकुनगुनिया की बीमारी पर नियंत्रण एडीज़ मच्छर की उत्पत्ति रोककर ही किया जा सकता है। एडीज़ मच्छर के उपरोक्त उत्पत्ति स्थलों को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट है कि बीमारी पर नियंत्रण हेतु सभी विभागों के सहयोग की आवश्यकता है। विभागों द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य निम्न हैं:–

1. नगरीय निकाय :–

- "सिविल बॉय लाज" लागू किये जावें, इसमें घरों में मच्छरों की उत्पत्ति पाये जाने पर रूपये 500/– अर्थदण्ड का प्रावधान है।
- घरों के बाहर सार्वजनिक स्थलों पर रूके हुए पानी की सप्ताह में एक बार निकासी (सीमेंट की टंकी आदि)।

2. शहरी विकास विभाग :–

- "बिल्डिंग बॉय लाज" बनाये जावें व निर्माण स्थल मच्छरों से मुक्त रखे जावें।

3. पंचायत विभाग :–

- स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार–प्रसार।
- जवाहर रोजगार योजना का उपयोग नालियों के सुधारने व स्वच्छता में किया जावे।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से स्वच्छता, मच्छर की उत्पत्ति रोकने के उपाय।
- स्थाई जलस्त्रोतों में लार्वाभक्षी मछली का संचय करना।
- जन स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में सहयोग।

4. ग्रामीण विकास विभाग :–

- जल प्रदाय योजना का मेंटेनेंस, पानी एकत्र न हाने देवें, जिससे मच्छरों की उत्पत्ति पर रोक लगे।
- अनुपयोगी कुओं का भराव, अनुपयोगी गड्ढों का भराव।

5. महिला एवं बाल विकास विभाग :–

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुखार के मरीज़ की रक्तपट्‌टी बनाकर उपचार देवें।
- डेंगू, चिकुनगुनिया के लक्षण के मरीज़ की जानकारी निकटस्थ उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को तत्काल देवें। मच्छरों के लार्वा नष्ट कराने में सहयोग।

6. शिक्षा विभाग (स्कूल, कॉलेज), अनुसूचित जाति विकास विभाग, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास विभाग :–

- वैक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण के उपाय पाठ्‌यक्रम में जोड़ना।
- स्कूलों में मासिक स्वच्छता अभियान चलाना, सीमेंट की टंकियों, कूलर का साप्ताहिक निरीक्षण व पानी की निकासी।
- निबंध प्रतियोगितायें, सेमीनार का आयोजन।
- हॉस्टल में विद्यार्थियों को मच्छरदानी उपलब्ध कराना/उपयोग को बढ़ावा देना।

7. उद्योग विभाग :–

- विभिन्न उद्योगों में एक सप्ताह से अधिक रुके हुए पानी की निकासी का अभियान।

8. वन विभाग :–

- वन ग्रामों में बुखार के उपचार में सहयोग देना।
- मच्छरजन्य परिस्थितियों को समाप्त करना।

9. मत्स्योद्योग विभाग :–

- लार्वाभक्षी मछली गम्बूशिया जिलों में उपलब्ध करवाना।

10. जल संसाधन विभाग :–

- स्टॉप डेम बनने के साथ–साथ एकत्रित जल में लार्वाभक्षी मछली का संचय।
- सिंचाई के समय नहर में जमा पानी एक सप्ताह में फ्लश किया जावे।
- निर्माण स्थलों पर लेबर की नियमित स्वास्थ्य जांच, बुखार आने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था।
- श्रमिकों में मच्छरदानी के उपयोग का बढ़ावा देना।

11. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग :–

- हैण्डपम्प के आस–पास सोखते गड्ढे बनवाना। यदि सीमेंट की टंकियाँ हों, तो सप्ताह में एक बार पानी की निकासी करवाना।
- नल जल योजना, पानी का सीपेज रोकना।

12. लोक निर्माण विभाग :–

- सड़कों के निर्माण के समय सड़क के आस–पास गड्ढे बन जाते हैं, उनमें बारिश का पानी एकत्र न हों, इस प्रकार से डिजाईन करना।
- शासकीय भवनों में सीमेंट की टंकियों को मच्छरप्रूफ करवाना।

वैक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण हेतु उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध है। आशा है कि सभी विभागों के समन्वित प्रयास से चिकुनगुनिया/डेंगू बीमारी का फैलाव अवश्य नियंत्रित हो सकेगा।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/संचा/वजनरो/07/ भोपाल, दिनांक :

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. निदेशक, राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, 22–शामनाथ मार्ग, दिल्ली।
5. संचालक, लोक स्वास्थ्य/संचालक, चिकित्सा सेवायें/संचालक, आई.ई.सी. ब्यूरो, म. प्र.।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार, 32, पुरजोर हाउस, एम.पी. नगर, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
10. झोन कीटविज्ञानी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, मध्यप्रदेश।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश